राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302004
दूरभाष :– 0141–2711070, संस्थापन–द्वितीय :– 2256702
E-mail : drestablishment2@gmail.com

कार्यालय आदेश

क्रमांकः संस्था–2 / 2023 / 3659 दिनांक :– 31/05/23

संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकः प. 7(4)डीओपी / ए–2 / 2023–04341 जयपुर दिनांक 15–05–2023 के द्वारा पदोन्नति में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में निम्न प्रावधान किया है :–

वर्ष 2023–24 के लिए कोई रिक्त पद, निम्नतर पद पर विहित अनुभव या सेवा के अनुभव या, यथास्थिति, दोनो के अभाव में पदोन्नति द्वारा नही भरा जा सकता हो तो उस रिक्त पद को भरने के लिए दो वर्ष तक का शिथिलीकरण निम्नतर पद के अनुभव या सेवा के अनुभव या, यथास्थिति, दोनो मे दिया जायेगा। तथापि, जहॉ पदोन्नति के लिए विहित अनुभव दो वर्ष है वहॉ शिथिलीकरण केवल एक वर्ष के लिए दिया जायेगा। किसी को भी परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नत नही किया जायेगा।

उपरोक्त नियमो के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19–05–2023 की अनुपालना में वर्ष 2023–24 के लिए अशैक्षणिक संवर्ग के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति के मापदण्ड से प्रदान की जाने वाली पदोन्नतियों के तहत् वांछित अनुभव में 02 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश को आगामी सिण्डीकेट में रिर्पोटिंग हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

नीलिमा 30/5/23
(नीलिमा तक्षक)
कुलसचिव

क्रमांकः संस्था–2 / 2023 / 3660-64 दिनांकः 31/05/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राज.वि.वि., जयपुर।
2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राज.वि.वि., जयपुर।
3. उप कुलसचिव, लेखा एवं वित्त, राज.वि.वि., जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव, राज.वि.वि., जयपुर।

Shruti 30/5/2023
(श्रुति शेखावत)
उप कुलसचिव (संस्था.–2)